बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक–वि० प्रा० (III) व–06/2013– 95 /पटना, दिनांक– 12-10-2018

आदेश

निदेशानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग के द्वारा विभागान्तर्गत लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्रों, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सहायक अनुदान से संबंधित प्रतिवेदित किए गए आंकड़ों के संबंध में उक्त के अनुश्रवण/क्रियान्वयन हेतु एक कोषांग का गठन निम्न रूप से किया जाता है :–

(1.) विशेष सचिव – अध्यक्ष

(2.) उप सचिव –सह– आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

(3.) उप निदेशक (योजना) – सदस्य

(4.) सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

(5.) लेखापाल – सदस्य

(2.) उपरोक्त गठित समिति विषयांकित मामलें की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को अपराह्न 12:00 बजे करेगी। समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन प्रधान सचिव को समर्पित करना सुनिश्चित करेगी।

(3.) प्रधान सचिव के द्वारा प्रत्येक पक्ष में विषयवस्तु की समीक्षा की जाएगी।

(4.) विषयगत मामलें के अनुपालन हेतु समिति एक समय–सीमा का निर्धारण करेगी आवश्यकतानुसार संबंधित संस्थानों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ विभाग में कैम्प लगाकर लंबित विपत्रों का समायोजन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेगी।

(5.) प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार पटना।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (III) व–06/2013– 2836 **/पटना, दिनांक–** 12-10-2018

प्रतिलिपि– संबंधित पदा०/कर्मचारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागान्तर्गत सभी संस्थानों के प्राचार्य –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अपने यहां लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्रों का समायोजन महालेखाकार/कोषागार से कराकर पत्र निर्गत के 15 दिनों के अन्दर विभाग को अवगत करावे, अन्यथा आपका वेतन अगले आदेश तक के लिए अवरूद्ध कर दिया जाएगा। 12/10/18

विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार पटना।

sonal/ dst / 11.10.2018